

कार्यालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा (राज.)

क्रमांक-सामान्य/2021/

32

दिनांक : 20.05.2021

:: आदेश ::

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के अधिसूचना क्रमांक ईवी/08/2021 दिनांकित 20.05.2021 एवं माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, भीलवाड़ा के आदेश क्रमांक 7960 से 8049 दिनांकित 20.05.2021 की पालना में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 14 संपटित धारा 15(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 20.05.2021 को माननीय श्रीमान् जगन्नाथ पहाड़िया, चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान के निधन होने पर राजस्थान उच्च न्यायालय एवं सम्स्त अधीनस्थ न्यायालयों में अवकाश घोषित करने से भीलवाड़ा जिला न्याय क्षेत्र में उक्त दिनांक को उत्पन्न होने वाले आवश्यक आपराधिक प्रकरणों यथा रिमाण्ड, जमानत, मृत्युकार्तीय दफ्तार, मृत्यु समीक्षा एवं अन्य आवश्यक कार्य यथा प्रोटोकॉल आदि के लिए कॉलम संख्या (2) में अंकित न्यायिक अधिकारी को उनके नाम के आगे कॉलम संख्या (4) में अंकित अवकाश की तिथि को अपने मुख्यालय पर उपस्थित रहकर प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक अपने न्यायालय में बैठकर एवं नियत तिथि के पूर्ववर्ती कार्यदिवस को कार्यालय समय पश्चात से पश्चातवर्ती कार्य दिवस को कार्यालय समय पूर्व तक मुख्यालय पर रहकर और यदि किसी कारण से नियत तिथि से पूर्ववर्ती या पश्चातवर्ती कार्य दिवस को अवकाश घोषित होता है तो संबंधित अधिकारी को मुख्यालय पर रहकर उक्तानुसार ही उक्त कार्य सम्पादित करने के लिए अधिकृत किया जाता है -

क्र.सं.	नाम अधिकारी व मोबाईल नम्बर	पद नाम	दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्रीमती नीति वर्मा 9414756052	विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट, एन.आई.एक्ट प्रकरण सं-1, भीलवाड़ा	20.05.2021

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
भीलवाड़ा  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
भीलवाड़ा (राज.)  
दिनांक : 20.05.2021

क्रमांक-सामान्य/2021/

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, भीलवाड़ा।
2. श्रीयुत जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा को प्रतिलिपि प्रेषित कर लेख है कि सभी धार्मिककारिक को रिमाण्ड व अन्य आवश्यक न्यायिक कार्यों के लिए उपर्युक्त दिनांक में अनिवार्यतः प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 12.00 तक न्यायालय में ही पहुंचने के लिए निर्देशित करने हेतु।
3. न्यायालय विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट, एन.आई.एक्ट प्रकरण सं-1, भीलवाड़ा
4. अध्यक्ष, जिला अभिभावक संस्था, भीलवाड़ा।
5. सहायक निदेशक, अभियोजन, भीलवाड़ा
6. सिस्टम अधिकारी, कम्प्यूटर शाखा, जिला न्यायालय, भीलवाड़ा को प्रेषित कर लेख है कि वह उक्त आदेश को जिला न्यायालय की website पर upload करें।
7. कार्यालय प्रति।

20/5/21  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
भीलवाड़ा  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
भीलवाड़ा (राज.)